



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 06 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को 12000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 06 अलग-अलग मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को 12000/ रुपये के से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

अभियोग-

1. थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग 15/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजेस उर्फ पप्पू पुत्र रामान्दी निवासी कुलसारी थाना फतेहगंज जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग 08/23 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त रोहित उर्फ संदीप पुत्र रामरतन निवासी ग्राम बरछडड़िया थाना फतेहगंज जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग 09/21 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त मोहन लाल पुत्र बुलवा निवासी ग्राम डढ़वामानपुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
4. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 07/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजकरन यादव पुत्र देवदास निवासी लमेहटा थाना बदौसा जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
5. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 135/21 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1. सुधा पुत्री चुनबाद 2. मुन्नी पत्नी चुनबाद निवासीगण ग्राम शाहपुर सानी थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल 02-02 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
6. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 60/16 धारा 323/325/504/506 भादवि के अभियुक्त लल्ला पुत्र झल्ला निवासी ग्राम दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल 03 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।